

मध्यप्रदेश शासन  
गृह (पारपत्र) विभाग  
मंत्रालय

प्रेषक:-

श्रीदास  
अवर सचिव

प्रेषित:-

सचिव,  
भारत सरकार, गृह मंत्रालय,  
फर्स्ट फ्लोर हेरीटेज बिल्डिंग  
मेजर घ्यान चंद नेशनल स्टेडियम  
नेयर इंडिया गेट नई दिल्ली-1100001

विषय:-

भोपाल, दिनांक 30/3/2019  
निवासवृद्धि/पाक नागरिका- श्रीमती जयवंती कुमारी पत्नी श्री महाराज कुंदनागर निवासी जिला  
इन्दौर को Exit Permit पाकिस्तान करने के संबंध में ।

---c---

महोदय,

उपरोक्त विषय में विशेष शाखा सुरक्षा भोपाल के पत्र दिनांक 15.03.2019 एवं पुलिस अधीक्षक जिला इन्दौर के पत्र दिनांक 20.12.2018 द्वारा पाक नागरिको श्रीमती जयवंती कुमारी पत्नी श्री महाराज कुंदनागर की एलटीवी फाईल बन्द कर उनके स्वदेश पाकिस्तान (Exit Permit) करने के संबंध में ऑन लाईन क्रमांक 18000..... से अनापत्ति व्यक्त की है । जो ऑन लाईन में अपलोड है ।

2/

कृपया उपरोक्त अनापत्ति के आधार पर पाक नागरिका श्रीमती जयवंती कुमारी पत्नी श्री महाराज कुंदनागर की एलटीवी फाईल बन्द करते हुये उनके स्वदेश पाकिस्तान (Exit Permit) किया जाता है तो राज्य शासन को कोई आपत्ति नहीं है । आपके द्वारा लिये गये निर्णय से राज्य शासन को अवगत कराने का कष्ट करे है ।

भवदीय,

( श्रीदास )

पृ० क्रमांक / 252 / 2019 / ए-1 / दो  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक / / 2019

1. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा सुरक्षा भोपाल, के पत्र क्रमांक 15/पाक/2019-20(07) दि. 15.03.2019 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. पुलिस अधीक्षक जिला इन्दौर म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।
3. आवेदक श्रीमती जयवंती कुमारी पत्नी श्री महाराज कुंदनागर निवासी 202 हरीओम पैलेस 53-ए पैलेस कालोनी जिला इन्दौर मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
4. सामान्य शाखा गृह विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर अपडेट करने हेतु ।

अवर सचिव

म०प्र०शासन गृह (पारपत्र)विभाग